न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 05/2021
दायर दिनांक : 02.02.2021
निर्णय दिनांक : 06.12.2022

उनवान

1. गोदूलाल पिता भैरा जाट निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर
2. चान्दीबाई पुत्री भैरा जाट निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. कमलाबाई पत्नी गोवर्धन यादव निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर
2. कैलाशीबाई पुत्री भैरूलाल यादव निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर
3. ताराबाई पुत्री भैरूलाल यादव निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर
4. दाखीबाई पुत्री गोवर्धनलाल यादव निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर
5. मगनीबाई पुत्री गोवर्धनलाल यादव निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर
6. मोहनलाल पिता गोवर्धनलाल यादव निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर
7. रूकमणीबाई पत्नी भैरूलाल यादव निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर
8. रतनलाल पिता भैरूलाल यादव निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर
9. कमलेश पिता रतनलाल यादव निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर
10. दुर्गाशंकर पिता हजारी यादव निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर
11. प्रकाशचन्द्र पिता रतनलाल यादव निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर
12. मुकेशकुमार पिता रतनलाल यादव निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर
13. रेखा पुत्री रतनलाल यादव निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर
14. शांतीबाई पत्नी रतनलाल यादव निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर
15. शान्तीलाल पिता हजारी यादव निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर
16. भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री सैयद फिरोज अली

:: निर्णय ::

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूध अप्रार्थीगण के पेश किया जिसके संक्षित में तथ्य इस प्रकार है कि :

यह है कि मौजा जाशमा पटवार हल्का जाशमा तहसील भूपालसागर [illegible] में प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजियात स्थित है। जिसके हाल जमाबंदी दर्ज [illegible] सं. [illegible] 771 व पुराना 787 से दर्ज आराजी सं. 3076 रकबा 0.04 है., आ.सं. 3077 [illegible] आ.सं. 3081 रकबा 0.05 है. आ.चा. तथा आ.सं. 3069 रकबा 3.20 है. स्थित है। उक्त आराजियात पर हम प्रार्थीगण काबिज हो काश्त करते हैं, वजह सबूत हाल जमाबंदी, हाल नक्शा ट्रेस व मय नजरी मानचित्र प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजियात में पैदल आने जाने [illegible] मवेशी आदि लाने ले जाने,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.12.12 16:32:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

बैलगाड़ी भरी खाली, ट्रैक्टर मय ट्रोली खाली भरी लाने ले जाने व हंकाई के लिये ट्रेक्टर लाने ले जाने के लिये ग्राम जाशमा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित सरकारी रास्ता आ.सं. 3097 से होकर आगे सरकारी रास्ता आ.सं. 3073 तक जाकर उक्त रास्ते से सटी हुई अप्रार्थीगण की आ.सं. 3074 है. व इसके आगे आ.सं. 3075 दर्ज रिकार्ड है। उक्त सरकारी रास्ते के पूर्वी दिशा में घूमते ही अप्रार्थीगण की आ.सं. 3074 व 3075 की दक्षिणी पाली पर होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आ.सं. 3076 में प्रवेश करते हैं और प्रार्थीगण अपनी आ.सं. 3076 में प्रवेश कर प्रार्थनापत्र में दर्ज दिगर आराजियात में आते जाते हैं। उक्त रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण अपने बाप दादाओं के समय से ही करते चले आ रहे हैं किन्तु रेवेन्यू रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से विपक्षीगण अब आये दिन लडाई झगडा करते हैं, रास्ते में अवरोध पैदा करते हैं व बुवाई व हकांई के समय मवेशी लाने ले जाने के समय आये दिन लडाई झगडा विवाद करते हैं व एलानिया धमकी देते हैं कि रेवेन्यू रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है जिससे प्रार्थीगण को उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग विपक्षीगण नहीं करने दे रहे हैं, जिस कारण हम प्रार्थीगण के मवेशी लाने ले जाने में व फसल बोने जोने में परेशानी पैदा हो रही है। प्रार्थीगण अपनी आराजियात में जाने के लिये उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को गई मर्तबा रास्ता डी.एल.सी. दर से देने के लिये कहा तो मना कर दिया और रास्ते में आने जाने में रूकावट पैदा कर रहे हैं। प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजियात में जाने के लिये अप्रार्थीगण के खातेदारी की आराजियात सं. 3074, 3075 की दक्षिणी पाली पर चौड़ा 16 फीट व लम्बा आ.सं. 3074 व 3075 के अंतिम कॉर्नर तक यानि प्रार्थीगण की आ.सं. 3076 में प्रवेश करने तक का कुलिया रास्ता कायम कराने का प्रार्थीगण न्यायालय से प्रार्थना करते हैं तथा कुलिया रास्ते के रकबे का न्यायालय आदेशानुसार प्रार्थीगण राशि जमा कराने के लिये तैयार हैं।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। सम्मन तामिल के बाद अप्रार्थी संख्या 6, 8, 10, 11, 12 उपस्थित आये व हस्ताक्षर किये अप्रार्थी सं. 1 से 5 व 7,9, 13 से 16 से कोई उपस्थित नही हुआ। अप्रार्थी सं. 16 पैरोकार सरकार तहसीलदार भूपालसागर की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण अपने आराजियात पर आ.नं. 3074 व 3075 पर से रास्ता चाहते है, जो निकटतम मार्ग है, इसके अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आ.सं. 3074 में से में से 6 मीटर चौडा रास्ता लेने पर 144 वर्गमीटर क्षेत्रफल तथा आ.सं. 3075 में से 6 मीटर चौड़ा रास्ता लेने पर क्षेत्रफल 216 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 360 वर्गमीटर बनता है, प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया है। है जो नियमानुसार दिया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्राथीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। तहसीलदार भूपालसागर की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है तथा प्रार्थीगण को अपनी आराजियात पर आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं प्रस्तावित रास्ता निकटतम मार्ग है तथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। अत पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार भूपालसागर की मौका रिपोर्ट एवं वकील प्रार्थीगण की बहस के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251 ए स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, भूपालसागर को आदेशित किया जाता है कि आप उपरोक्त वर्णित रास्ते में ली जाने वाली भूमि का नाप चौप कर नियमानुसार डी.एल.सी दर की दुगुनी राशि को विधिक खातेदारों के भुगतान हेतु प्रार्थीगण से जरिये डी.डी. या चैक प्राप्त कर संबंधित रास्ते के प्रयोजन हेतु देने वाले खातेदारों, सहखातेदारों को बतौर क्षतिपूर्ति सुपुर्द करें तत्पश्चात राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर तरमीम की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रतिलिपि मय नजरी नक्शा मौका रिपोर्ट तहसीलदार भूपालसागर को नियमानुसार पालना हेतु भेजी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम [illegible] निर्णय आज दिनांक 06.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.12.12 16:32:51 IST
Reason: SelfAttested

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर